

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,  
विधायी एवं संसदीय कार्य,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

विभागाध्यक्ष  
राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

देहरादून: दिनांक: 18 अक्टूबर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग के पत्र संख्या 23/उ0रा0वि0प0आ0/2016-17 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-16-राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक की कुल धनराशि 37,33,000.00 (सैंतीस लाख तैतीस हजार मात्र) में से रू0 35,64,731.00 (पैंतीस लाख चौसठ हजार सात सौ इक्कतीस मात्र) का आय-व्ययक संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 संख्या S1610070223 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 में दिये गये विवरणानुसार निम्न शर्त के साथ आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वचनबद्ध मदों में स्वीकृत आय-व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दिया जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
2. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों में स्वीकृत आय-व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दिया जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय एवं न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
3. पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय हो करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
6. उक्त सभी मदों में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
25. उक्त धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
26. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
27. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
28. शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012, शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31-03-2016 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
29. स्वीकृत आय-व्ययक को आवश्यकतानुसार शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऑन लाईन अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों के निर्वतन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।
30. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवार्ये-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-16-राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र खुल्हे)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 308/XXXVI(3)/2016/68(1)/2015 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग 5, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये, डाटा सेन्टर, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(रमेश चन्द्र खुल्हे)  
प्रमुख सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (S058)

आवंटन पत्र संख्या - 308/xxxvi(3)/2016/68(1)/2015

अलोटमेंट आई डी - S1610070223

अनुदान संख्या - 007

आवंटन पत्र दिनांक -18-Oct-2016

HOD Name - Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (4663)


1: लेखा शीर्षक 2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 -  
 090 - सचिवालय  
 16 - राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठाान  
 00 -

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	3850	462150	466000
03 - महंगाई भत्ता	4165	592835	597000
04 - यात्रा व्यय	1720	248280	250000
06 - अन्य भत्ते	8765	191235	200000
07 - मानदेय	65194	794806	860000
08 - कार्यालय व्यय	29091	270909	300000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	50000	50000
12 - कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	0	100000	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	1219	23781	25000
15 - गाड़ियों का अन्तरक्षण और पेट	46000	454000	500000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	4000	96000	100000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	1500	13500	15000
22 - आतिथ्य व्यय विशेषक भत्ता आ	2765	47235	50000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	100000	100000
42 - अन्य व्यय	0	10000	10000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अन्तरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	10000	10000
	168269	3564731	3733000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3564731

  
18/10/16